अनुसूची-१४ -फारम सं0 ५६२

# आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

## न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**आपूर्त अपील सं0- 06/2014**

**बालेश्वर मांझी**

**बनाम**

**सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण )**

| आदेश का क्रम-संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित |
|---|---|---|
| 13.08.15 | यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 1386, दिनांक 02.05.2012 एवं ज्ञापांक 1446, दिनांक 23.06.2014 के विरूद्ध दाखिल है।<br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसुआपुर के पत्रांक 19, दिनांक 17.04.2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा के नेतृत्व में गठित जांच दल के द्वारा दिनांक 13.04.2012 को बालेश्वर मांझी, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0-63/2007 ,पंचायत-निपानेया, प्रखंड-इसुआपुर जिला-सारण के व्यवपार स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल को देखकर विक्रेता फरार हो गया। वितरण के पश्चात् विक्रेता के भंडार में 39 क्विंटल 58 किलो गेहूँ और 59क्विंटल 37 किलों चावल होना चाहिए था, परन्तु भंडार में जांच के समय 29 क्विंटल गेहूँ एवं 46 क्विंटल चावल पाया गया। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा 10 क्विंटल 58 किलों गेहूँ एवं 13 क्विंटल 37 किलों चावल की कालाबाजारी का मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ, जिसके लिए विक्रेता के विरूद्ध इसुआपुर थाना कांड संख्या 40/2012, दिनांक 13.04.2012 धारा 7 ई0सी0 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1386, दिनांक 02.05.2012 के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई।<br>विक्रेता के द्वारा इसुआपुर थाना कांड संख्या 40/2012 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2510/2013 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2013 की प्रति संलग्न कर उनकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध अनुज्ञापन पदाधिकारी से किया गया।<br>अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 1446, दिनांक 23.06.2014 के द्वारा आदेश पारित किया गया कि रद्द अनुज्ञप्ति को पुर्णजीवित करने की शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं है। इसके लिए विक्रेता को जिला दण्डाधिकारी,सारण,छपरा के न्यायालय में आवेदन दाखिल करना चाहिए। इसके पश्चात्, विक्रेता के द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2014 को | |

आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आलोक में यह वाद प्रारंभ हुआ।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध दर्ज इसुआपुर थाना कांड संख्या 40/2012 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2510/2013 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा विक्रेता को दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि उक्त मामलें में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में चूंकि विक्रेता को दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उनकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करना अपेक्षित है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विक्रेता के विरूद्ध दर्ज इसुआपुर थाना कांड संख्या 40/2012 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2510/2013 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा विक्रेता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में,अनुज्ञापन पदाधिकारी कें प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 09.07.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 285 /न्या0, दिनांक 22.8.15 /

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15